मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

1. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा श्री बृजबिहरी पटेरिया, सदस्य को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 136 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 173 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से की गई घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 21 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. तद्नुसार निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं :-

(1) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य ने सिवनी जिला मुख्यालय में नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय खोले जाने,
(2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने अनूपपुर की ग्राम पंचायत बेनीवारी को तहसील का दर्जा दिये जाने,
(3) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन में स्थानीय विधायक को न बुलाये जाने,
(4) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास के कार्य हेतु समाप्त की गई दान पत्र की व्यवस्था को पुन: बहाल किये जाने,
(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में ग्रामों के विकास हेतु 15 वें वित्त की राशि प्राप्त न होने से ग्रामों का विकास प्रभावित होने,
(6) श्री महेश परमार, सदस्य ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन हेतु ग्रामीण एवं शहरी श्रद्धालुओं को सहज, सुलभ तथा नि:शुल्क सुविधा प्रदान किये जाने,
(7) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य ने रायसेन जिला अन्तर्गत सिविल अस्पताल बेगमगंज एवं सिलवानी में चिकित्सकों की पूर्ति की जाने,
(8) श्री अभिजीत शाह, सदस्य ने मध्यप्रदेश में माननीय सदस्यों की विधायक निधि में वृद्धि की जाने,
(9) श्री भैंरो सिंह बापू, सदस्य ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में पदस्थ अधिकारियों द्वारा टोल राशि में भ्रष्टाचार किये जाने,

(10) डॉ. चिन्तामणि मालवीय, सदस्य ने आलोट विधान सभा के कई ग्रामों में कृषकों की भूमि शुगर मिल के नाम दर्ज होने,

(11) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने भोपाल में निर्माणाधीन कॉलोनी राजीव नगर एवं लवकुश हाईट्स में शासन को राजस्व हॉनि पहुंचाये जाने,

(12) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने बड़वानी शहर स्थित रैन बसैरा में मृत बुर्जुग को पोस्टमार्टम कक्ष तक ले जाने हेतु रेडक्रास/ नगरपालिका द्वारा वाहन उपलब्ध न कराये जाने,

(13) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य ने सिरोंज, गंजबासौदा मार्ग पर सी.सी. रोड़ बनाये जाने,

(14) डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य ने टेंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति पर रोक लगाने से इटारसी, नर्मदापुरम के हजारों नागरिकों के समक्ष पेयजल संकट उत्पन्न होने,

(15) श्री भगवान दास सबनानी, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम विधान सभा क्षेत्र भोपाल में रविन्द्र भवन के समीप नालो की सफाई एवं मरम्मत की जाने,

(16) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य ने सैलाना विधान सभा अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में तालाब निर्माण का कार्य प्रारंभ न होने,

(17) श्री मधु भगत, सदस्य ने प्रदेश में एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने,

(18) श्री सुरेश राजे, सदस्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र ग्वालियर में बनाये जाने,

(19) श्री महेन्द्र नागेश, सदस्य ने मुंगवानी में उप तहसील कार्यालय को पूरे समय संचालित किये जाने,

(20) श्री बाबू जण्डेल, सदस्य ने चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना श्योपुर से खेतों की सिंचाई शुरू न हो पाने एवं

(21) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य ने जनप्रतिनिधि के विरूद्ध दुर्भावनावश कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति ।

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

श्री बाबू जण्डेल सदस्य पर प्रकरण दर्ज किये जाने संबंधी

श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने श्री बाबू जण्डेल सदस्य पर प्रकरण दर्ज किये जाने संबंधी उल्लेख करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि सदस्य श्री बाबू जण्डेल जी कल मुझसे मिले थे. श्री पंकज जी की शून्यकाल की सूचना में यही विषय है और यह विषय उठ गया है. इस विषय को कार्यवाही के लिये विभाग को भेजा जा रहा है.

श्री महेश परमार, सदस्य ने मध्यप्रदेश में दिव्यांग अनाथ बच्चों के आश्रम युग पुरूष इन्दौर और दोहाधा उज्जैन में 25-30 मौते होने संबंधी उल्लेख किया.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने

(क) मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2023-2024, तथा

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) की धारा 16 की उपधारा (6) (च) एवं मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के नियम 15 के उपनियम (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखे.

6. बहिर्गमन

श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण श्री बाबू जण्डेल, श्री पंकज उपाध्याय, श्री महेश परमार सहित कई सदस्यगण ने श्री बाबू जण्डेल, सदस्य पर से केस वापस न कराये जाने की मांग न माने जाने के विरोध सदन से बहिर्गमन किया.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना (क्रमश:)

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखा.

(3) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का 57वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा.

8. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि, ''आज की कार्यसूची में ध्यानाकर्षण की 22 सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुये सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 6 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेगें. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढी हुई मानी जायेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा.''

9. ध्यानाकर्षण

(1) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य** ने नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन कड़ान सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर से लंबित होने से परियोजना का कार्य अपूर्ण रहने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य** ने टीकमगढ़ जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री भंवरसिंह शेखावत एवं श्री अजय अर्जुन सिंह सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया.

(3) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य** ने जावरा क्षेत्र अंतर्गत बरगढ़ फंटा से भैसाना फंटा तक स्वीकृत सड़क मार्ग अपूर्ण रहने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री राकेश सिंह, मंत्री लोक निर्माण ने चर्चा का उत्तर दिया.

(4) **श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य (अधिकृत सदस्य श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)** ने प्रदेश में धान विक्री हेतु सर्वर न चलने से कृषकों का स्लाट बुक न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोविन्द सिंह राजपूत, मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने चर्चा का उत्तर दिया.

(5) **श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य** ने देवास जिले के खातेगांव तहसील अंतर्गत वन परिक्षेत्र में कृषकों के विरुद्ध वन अपराध का मिथ्या मुकदमा कायम किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण ने चर्चा का उत्तर दिया.

(6) **श्री अमर सिंह यादव, सदस्य ने** प्रदेश में राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमिहीन एवं गरीबों के लिये पट्टे एवं धारणाधिकार का कार्य समय पर न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

10. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – मैं आज की कार्य सूचीके पद 3 के उप पद (7) से (22) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, संबंधित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढे माने जायेंगे.

(7) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य** ने प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अतिथि विद्वानों के मानदेय न दिये जाने संबंधी सूचना एवं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) मंत्री का वक्तव्य,

(8) **डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य** ने शासकीय स्नातक महाविद्यालय गैरतगंज में एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम एवं शा. कन्या महाविद्यालय में बी. कॉम की कक्षाएं प्रारंभ न किये जाने संबंधी सूचना एवं उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(9) **श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य** ने प्रदेश के राजस्व विभाग अंतर्गत भू-संसाधन प्रबंधन विभाग में कार्यरत जूनियर डाटा एंट्री आपरेटरों का संलग्रीकरण जिला मुख्यालय में किए जाने संबंधी सूचना एवं राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(10) **श्री प्रीतम लोधी, सदस्य** ने ग्वालियर जिले के जलालपुर में शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने संबंधी सूचना एवं राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(11) **श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य** ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति एवं PM E-Drive के क्रियान्वयन में नीति का पालन न किये जाने संबंधी सूचना एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(12) **श्री मुकेश टंडन, सदस्य,** विदिशा जिले के विजय मंदिर की नियमित पूजा की अनुमति एवं मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने संबंधी सूचना एवं राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व का वक्तव्य.

(13) **श्री सिद्धार्थ तिवारी, सदस्य** ने त्यौंथर विधान सभा में नवीन 132 के.वी. बिजली सब स्टेशन बनाये जाने संबंधी सूचना एवं ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(14) **श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य** ने भिण्ड क्षेत्रांतर्गत शासकीय महाविद्यालय अकोड़ा में भवन के निम्नस्तरीय निर्माण किए जाने संबंधी सूचना एवं उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(15) **डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान, सदस्य** ने उज्जैन-जावरा सड़क मार्ग पर निरंतर हो रही दुर्घटनाओं से मौतें होने संबंधी सूचना एवं लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(16) **श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य** ने प्रदेश में राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटराइजेशन एवं अभिलेखों में त्रुटि सुधार किए जाने संबंधी सूचना एवं राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(17) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य** ने विदिशा जिले के लटेरी क्षेत्र में जंगलों में निरंतर हो रही अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना एवं मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(18) **श्री विपीन जैन, सदस्य** ने मंदसौर जिले में किसानों की फसलों को घोड़ारोज व जंगली सूअरों से हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना एवं मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(19) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य** ने धार जिले की मनावर तहसील में यातायात व्यवस्था सुधार हेतु गांधी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाये जाने संबंधी सूचना एवं मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(20) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य** ने भिण्ड जिले के कलेक्टर कार्यालय में व्यापक स्तर पर अनियमितता कर फर्जी आर्म्स लायसेंस जारी किये जाने संबंधी सूचना एवं मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(21) **श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य** ने प्रदेश में खाद संकट एवं यूरिया-डीएपी खाद के दामों में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(22) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य** ने सरदारपुर विधान सभा के अंतर्गत नर्मदा सिंचाई परियोजना से अनेक ग्राम वंचित होने संबंधी सूचना एवं मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री भगवानदास सबनानी (जिला-** भोपाल)
(2) **श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके (जिला-** बैतूल)
(3) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-** दतिया)
(4) **श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-** मण्डला)
(5) **श्री केशव देसाई (जिला-** भिण्ड)
(6) **श्री दिव्यराज सिंह (जिला-** रीवा)
(7) **श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-** सिवनी)
(8) **श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-** मैहर)
(9) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-** टीकमगढ़)
(10) **श्री महेन्द्र नागेश (जिला-** भोपाल)
(11) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-** रतलाम)
(12) **श्री विपीन जैन (जिला-** मंदसौर)
(13) **श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-** नरसिंहपुर)
(14) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-** धार)
(15) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला-** पन्ना)
(16) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-** धार)
(17) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-** छिंदवाड़ा)
(18) **श्री श्याम बरडे (जिला-** बड़वानी)
(19) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-** शाजापुर)
(20) **श्री मोंटू सोलंकी (जिला-** बड़वानी)
(21) **श्री अनिल जैन (जिला-** निवाड़ी)
(22) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-** धार)
(23) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-** टीकमगढ़)
(24) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-** दतिया)
(25) **श्री मधु भगत (जिला-** बालाघाट)
(26) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-** खरगोन)
(27) **श्री विक्रम सिंह (जिला-** सतना)
(28) **श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव (जिला-** खरगोन)
(29) **डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान (जिला-** उज्जैन)
(30) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-** अनूपपुर)
(31) **श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-** शिवपुरी)
(32) **श्री सुरेश राजे (जिला-**ग्वालियर)
(33) **श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-** शिवपुरी)

(34) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(35) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला- निवाड़ी)
(36) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला- रतलाम)
(37) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला- सीहोर)
(38) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(39) इंजीनियर हरिबाबू राय (जिला- अशोकनगर)
(40) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला- सिवनी)
(41) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला- छतरपुर)
(42) श्री हजारीलाल दांगी (जिला- राजगढ़)
(43) श्री अमर सिंह यादव (जिला- राजगढ़)
(44) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
(45) श्री राजकुमार मेव (जिला- खरगोन)
(46) श्री उमाकांत शर्मा (जिला- विदिशा)
(47) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला- पन्ना)
(48) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला- गुना)
(49) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला- ग्वालियर)
(50) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(51) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला- पन्ना)
(52) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला- छतरपुर)
(53) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला- मुरैना)
(54) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला- बालाघाट)
(55) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला- अलीराजपुर)
(56) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे (जिला- खण्डवा)
(57) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू (जिला- नीमच)
(58) श्रीमती रीती पाठक (जिला- सीधी)
(59) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला- जबलपुर)
(60) श्री मोहन शर्मा (जिला- राजगढ़)
(61) श्री अरूण भीमावद (जिला- शाजापुर)
(62) श्री दिनेश जैन बोस (जिला- उज्जैन)
(63) श्री अभय मिश्रा (जिला- रीवा)
(64) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला- बालाघाट)
(65) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला- हरदा)
(66) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला- कटनी)
(67) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला- बालाघाट)
(68) श्री सचिन बिरला (जिला- खरगोन)
(69) श्री प्रदीप पटेल (जिला- मऊगंज)
(70) श्री पंकज उपाध्याय (जिला- मुरैना)
(71) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला- छतरपुर)
(72) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला- रतलाम)
(73) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला- नर्मदापुरम)
(74) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला- प्रदेश के समस्त जिले)
(75) श्री देवेन्द्र पटेल (जिला- रायसेन)
(76) कुँवर अभिजीत शाह (जिला- हरदा)

12. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि, ‘‘ आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था लॉबी में की गई है, माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते है.’’

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री ओमप्रकाश सखलेचा
2. श्री सोहनलाल बाल्मीक
3. श्री विपिन जैन

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 9 तक इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समितियों के लिये नाम वापसी के पश्चात् केवल उतने ही उम्मीदवार शेष हैं जितने समितियों के लिये निर्वाचित किये जाने है.

अत: मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि में सेवा करने के लिये निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं –

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री जयंत मलैया

2. सुश्री मीना सिंह मांडवे
3. श्री ओमप्रकाश धुर्वे
4. श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ)
5. सुश्री उषा बाबु सिंह ठाकुर
6. श्री रामेश्वर शर्मा
7. श्रीमती रीति पाठक
8. डॉ. योगेश पंडाग्रे
9. श्री भंवर सिंह शेखावत
10. श्री संजय उइके
11. श्री दिनेश जैन (बोस)

श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अजय विश्नोई
2. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
3. श्री रमेश मेन्दोला
4. श्री हरिशंकर खटीक
5. श्री दिव्यराज सिंह
6. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
7. श्री सुदेश राय
8. श्री आशीष गोविन्द शर्मा
9. श्री नारायण सिंह पट्टा
10. श्री राजेन्द्र भारती
11. श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार

श्री अजय विश्नोई, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्रीमती अर्चना चिटनीस
2. श्री कुंवर सिंह टेकाम
3. श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी
4. श्री बृजेन्द्र सिंह यादव
5. श्री दिलीप सिंह परिहार
6. श्री देवेन्द्र कुमार जैन
7. श्रीमती गायत्री राजे पवार
8. श्री सुशील कुमार तिवारी
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री नितेन्द्र बृजेद्र सिंह राठौर
11. श्री केशव देसाई

श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(4) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
2. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
3. श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड
4. श्री कमलेश प्रताप शाह
5. श्रीमती ललिता यादव
6. श्री विष्णु खत्री
7. श्री सतीश मालवीय
8. श्री प्रदीप अग्रवाल
9. श्री जयवर्द्धन सिंह
10. डॉ. सतीश सिकरवार
11. श्री अभय मिश्रा

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

15. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, राज्य मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 026	संस्कृति के लिए एक हजार तीन सौ पैसठ करोड, बाईस लाख, पिचहत्तर हजार रूपये,
	अनुदान संख्या – 037	पर्यटन के लिए पांच सौ पैसठ करोड, सडसठ लाख, पच्चीस हजार रूपये एवं
	अनुदान संख्या – 051	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए एक सौ छब्बीस करोड, चौवन लाख, इक्तीस हजार रूपये,
		तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

(1) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(2) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
(3) श्री अरविन्द पटैरिया

16. अध्यक्षीय व्यवस्था

सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि –आज की ध्यानाकर्षण की सूचना क्रमांक-2 में सदस्य श्री भंवर सिंह शेखावत जी द्वारा मुख्यमंत्री जी के संबंध में जो टिप्पणी की गई थी, उसे विलोपित किया जाये.

17. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(4) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर
(5) डॉ. अभिलाष पाण्डेय
(6) श्री विपिन जैन
(7) श्री रामनिवास शाह
(8) श्रीमती मनीषा सिंह
(9) श्री साहब सिंह गुर्जर
(10)श्री सोहन लाल बाल्मीक
(11)डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
(12)श्री दिलीप सिंह परिहार
(13) श्री पंकज उपाध्याय
(14)श्री उमाकांत शर्मा
(15)श्री दिनेश गुर्जर

{सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं}

(16)श्री महेश परमार
(17)श्री हरिशंकर खटीक
(18)श्री मोहन सिंह राठौर
(19)श्री शरद जुगलाल कोल
(20)श्री विवेक विक्की पटेल
(21)श्री विवेक रेवनाथ चौरे

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, राज्य मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18.आंशिक मुखबन्ध प्रस्ताव

वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की शेष मांगों पर मुखबन्ध (गिलोटिन) संबंधी प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – ''वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के साथ कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है. कार्य मंत्रणा समिति में सहमति अनुसार अभी तक शासन के मुख्य विभागों की अनुदान मांगों पर सतत् रूप

से भोजनावकाश स्थगित करने के साथ सायं देर तक बैठकर विस्तृत चर्चा सदन में हुई है. निर्धारित समय सीमा में अनुदान मांगें स्वीकृत होना आवश्यक है और कार्य दिवस कम हैं.

अतः वर्णित स्थिति में वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर अब मुखबन्ध (गिलोटिन) होगा. इस संबंध में मतदान हेतु शेष विभागों की अनुदान मांगें माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त) जी एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा.''

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या – 006	वित्त के लिए पैंतीस हजार तीन सौ बाईस करोड़, उन्नीस लाख, पचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 007	वाणिज्यिक कर के लिए चार हजार एक सौ उन्यासी करोड़, सत्तावन लाख, सत्रह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 008	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय के लिए तेरह हजार आठ सौ बहत्तर करोड़, तैतीस लाख, चौवन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 009	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए चार सौ उनसठ करोड़, छियालीस लाख, छब्बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 012	उर्जा के लिए चौदह हजार चार सौ पन्द्रह करोड़, पचहत्तर लाख, सैतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 013	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए इक्तीस हजार सात सौ अठावन करोड़, बारह लाख, इक्यावनें हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 014	पशुपालन एवं डेयरी के लिए दो हजार तीन सौ चौसठ करोड़, सैतीस लाख, पन्द्रह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 015	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति के लिए पचपन करोड़, इक्कीस लाख, सत्तावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 016	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए चार सौ बारह करोड़, चौहत्तर लाख तैतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 017	सहकारिता के लिए एक हजार छ: सौ उनासी करोड़, अठाइस लाख उन्हत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 020	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए छ: हजार चार सौ तिरसठ करोड़, बयासी लाख बयालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 023	जल संसाधन के लिए सात हजार दो सौ सत्तर करोड़, चौसठ लाख चौदह हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 031	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए नौ सौ सतासी करोड़, पांच लाख, अड़तालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 034	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के लिए चार हजार पांच सौ सत्तर करोड़, इकतालीस लाख, तिरानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 035	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए दो हजार एक सौ चवालीस करोड़, छियालीस लाख, इक्कानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 039	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार आठ सौ बासठ करोड़, पचपन लाख, पन्द्रह हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 043	खेल और युवा कल्याण के लिए सात सौ पन्द्रह करोड़, चार लाख, चवालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 050	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए सात सौ बहत्तर करोड़, पैंतालीस लाख, तिरेपन हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 053	अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक सौ छप्पन करोड़, उनतालीस लाख, पैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 054	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक हजार छः सौ छत्तीस करोड़, अठावन लाख, तिरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 055	महिला एवं बाल विकास के लिए बत्तीस हजार सात सौ, तीस करोड़, पैंतालीस हजार रूपये एवं
अनुदान संख्या - 056	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए एक सौ पैतालीस करोड़, पचास हजार रूपये,

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 31,34, 35, 39, 43, 50, 53, 54, 55 एवं 56 के लिए राज्यपाल महोदय को प्रस्तावित राशि दी जाये.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

19. वित्तीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2026 पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2026 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

20. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अशासकीय संकल्प लगभग एक ही नेचर के है और उत्तर भी एक ही विभाग को देना है तो जो प्रस्तुत करने वाले महानुभाव है वह एक साथ संकल्प प्रस्तुत कर दे. मंत्री जी का जवाब एक साथ आ जायेगा.

21. अशासकीय संकल्प

(1) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य,** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि कालापीपल रेल्वे स्टेशन को अमृत भारत योजना अंतर्गत जोड़कर रेल्वे स्टेशन का विकास एवं सौंदर्यीकरण करते हुए प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाई जाये.".

(2) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य,** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सागर जिले के नरयावली क्षेत्र अंतर्गत मकरोनिया स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस एवं गोंडवाना एक्सप्रेस का स्टॉपेज किया जाये.". **(अनुपस्थित)**

(3) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य,** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि ग्वालियर-भिण्ड-इटावा नेशनल हाईवे क्रमांक 719 को सिक्स लेन एवं हाईवे पर स्थित चंबल नदी के क्षतिग्रस्त पुल का मरम्मत कार्य पूर्ण कराकर आवागमन प्रारंभ किया जाये."

22. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदन में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा की नगरीय निकाय समिति के सभापति एवं सदस्य सभी अध्यक्षीय दीर्घा में विराजमान हैं. सदन की ओर से उनका स्वागत है.

23. अशासकीय संकल्प (क्रमश:)

श्री राकेश सिंह लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए.

24. सत्र का समापन

माननीय सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा की सोलहवीं विधान सभा का नवम् सत्र अब समामि की ओर अग्रसर है। इस सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित हई. जिनमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुए।

इस सत्र में सदन ने अनेक लोक महत्त्व के विषयों पर प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से सार्थक चर्चा की। जहाँ प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, वहीं ध्यानाकर्षण के माध्यम से शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

इस सत्र के महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षणों में गौ-संरक्षण के विषय को प्रमुखता से उठाया गया तथा सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित एवं निर्माणाधीन गौशालाओं की विस्तृत जानकारी सदन को दी गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आवारा श्वानों द्वारा नागरिकों को काटे जाने की घटनाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जिस पर सरकार ने ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही करने का आश्वासन प्रदान किया ।

इन विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, कानून व्यवस्था, अधोसंरचना एवं नगरीय व्यवस्थाओं से संबंधित अनेक जनहितकारी मुद्दों पर भी सदन में विचार-विमर्श हुआ, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली की जीवंतता परिलक्षित हुई।

इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों के साथ सदन ने वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक को पारित किया तथा वर्ष 2025-26 की तृतीय अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं लोकतांत्रिक कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन का एक महत्वपूर्ण चरण रहा, जिसने शासन की नीतियों एवं योजनाओं को विधिक एवं संवैधानिक आधार प्रदान किया।

सत्र के दौरान कुल 3478 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 1750 तारांकित एवं 1728 अतारांकित प्रश्न सम्मिलित थे। ध्यानाकर्षण की 902 सूचनाएँ प्राप्त हुई, शून्यकाल की 337 सूचनाएँ तथा 771 याचिकाएँ प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त 01 शासकीय विधेयक तथा अशासकीय एवं 01 संविहित संकल्प पारित किए गए। अनेक समितियों के प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए। साथ ही सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "कृषक कल्याण वर्ष 2026" के संबंध में महत्वपूर्ण वक्तव्य सदन में प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्यों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 9 घंटे 05 मिनट तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा 1 घंटा 44 मिनट तक चली। भोजनावकाश स्थगित कर एवं सदन की बैठक अवधि में वृद्धि करते हुए अनुदान की मांगों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चाएँ सम्पन्न हुई। सदन की कुल कार्यवाही लगभग 62 घंटे तक चली और सभी कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुए।

मध्यप्रदेश विधान सभा अपने नवाचारों के लिए सदैव पहचानी जाती रही है। इसी क्रम में दिनांक 18 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक का समस्त साहित्य माननीय सदस्यों को ई-बजट के रूप में, ई-विधान परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स में अपलोड कर प्रदान किया गया, जो पारदर्शिता एवं तकनीकी उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हम सभी जनप्रतिनिधियों का मूल दायित्व जन-समस्याओं का निराकरण, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। दलीय निष्ठाएँ भिन्न हो सकती हैं, परंतु हमारा साझा लक्ष्य सदैव जनहित ही रहता है। संसदीय लोकतंत्र में सहमति असहमति, समर्थन-विरोध तथा दलीय प्रतिबद्धताएँ स्वाभाविक हैं। मतभेद लोकतंत्र की शक्ति हैं. परंतु यह संतोष का विषय है कि मतभेदों के बावजूद मनभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

सत्र के दौरान अनेक विषयों पर गहन एवं कभी-कभी तीव्र बहस भी हुई, किंतु अंततः सभी कार्य लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

इस सत्र के सुचारू संचालन हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी माननीय मंत्रीगण, सभापति तालिका के सदस्यगण, समस्त माननीय सदस्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, विधान सभा के प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय एवं शासन के अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अपने दीर्घगामी अनुभव और संसदीय योग्यता से सदन के सुचारु संचालन में सहयोग प्राप्त हुआ है. मैं सभी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है.

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को होली, रंचपंचमी, गुड़ी गड़वा, चैती चांद, ईद-उल-फितर, राम नवमी तथा महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनकी एवं प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना करता हूं.

श्री जगदीश देवडा, उप-मुख्यमंत्री (वित्त), श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्यमंत्री, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने भी विचार रखे.

25. बहिर्गमन

समापन भाषण के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, श्री सोहनलाल बाल्मीक एवं अन्य सदस्यों द्वारा विभागों की मागों पर अपनी बात न रख पाने के कारण सदन से बहिर्गमन किया गया.

26. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाना: प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिये निर्धारित समस्त वित्तीय एवं अन्य शासकीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अतः मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12 (ख) के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाये.

अध्यक्ष महोदय-प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ. प्रश्न यह है कि "सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाये."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

27. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

28. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने संबंधी घोषणा

अपराह्न 04:38 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक: 27 फरवरी, 2026